महेन्द्र कुमार विश्वकर्मा,
निजी सचिव,
मा0 राज्यमंत्री, माध्यमिक
शिक्षा, उ0प्र0

एफ–1/2, पंचल तल, बापू भवन
उ0प्र0 सचिवालय, लखनऊ
दूरभाष कार्यालय : 0522–2235342
फैक्स : 0522–2235342
सी0एच0 : 2214785
मो0नं0 : 9454410300

वि.बे.मा.शि.वि 138 /वी.आई.पी./2015
10/2/2015

सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद,उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद

अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने बोर्ड आफ हायर सेकेण्डरी एजूकेशन दिल्ली की हायर सेकेण्डरी (10वीं) एवं सीनियर सेकेण्डरी (12वीं) एवं प्राविधिक परीक्षाओं को माध्यमिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 की हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट परीक्षा के समकक्ष मान्यता प्रदान की है एवं बोर्ड के दसवीं उत्तीर्ण छात्रों को परिषद के विद्यालयों में ग्यारहवी कक्षा में प्रवेश की पात्रता प्रदान की है। मान्यता का विवरण इण्टरमीडिएट एक्ट 1921 अध्याय 14 के विनियम–2 (29) (38) में उल्लेख किया गया है जिसका गजट उत्तर प्रदेश सरकार ने दिनांक 8.3.2014 को पृष्ठ सं0 1111 पर कर दिया है। उक्त बोर्ड की वैधानिक वेबसाइट www.bhsedelhi.org.in है।

मा0 मंत्री जी ने अपेक्षा की है कि बोर्ड आफ हायर सेकेण्डरी एजूकेशन दिल्ली की हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट परीक्षाओं को माध्यमिक शिक्षा परिषद् उ0प्र0 की हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट परीक्षा के समतुल्यता/मान्यता बनाये रखा जाये और नियमविरूद्ध कोई संशोधन न किया जाये। बोर्ड के दसवीं उत्तीर्ण छात्रों को परिषद के सभी राजकीय सवित्तीय, वित्तविहीन, माध्यमिक विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु सम्बन्धित विभाग/विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

10.02.2015
(महेन्द्र कुमार विश्वकर्मा)
निजी सचिव
राज्य मंत्री
माध्यमिक शिक्षा

प्रतिलिपि– श्री रवि प्रताप सिंह, चेयरमैन, बोर्ड आफ हायर सेकेण्डरी एजूकेशन दिल्ली, पुराना किला/फूलबाल, लखनऊ को सूचनार्थ।

(महेन्द्र कुमार विश्वकर्मा)
निजी सचिव
राज्य मंत्री
माध्यमिक शिक्षा
उ० प्र० शासन।